

2018/00249
कृष्ण-उपखण्डपुरा

OK. सिरी
Rmcep
28/01/18

श्रीमान तहसीलदार महोदय

विषय- सम्पत्तिका नाम / जाति इत्यादि

प्रार्थी

देवीसहाय
नाम देवीसहाय निवेदन है - देवीसहाय
पुत्र श्री गौरीलाल जाति बालहि ग्राम बाडीपुरा का निवासी
की जमाबंदी में खाता नं. 38 के प्राप्ति का नाम
जाति देवाराज पुत्र गोरप दर्ज है। जो मुझे देवाराज पुत्र गोरप के स्थान पर देवीसहाय पुत्र गौरीलाल
ने देवाराज पुत्र गोरप / नाम / जाति देवाराज पुत्र गोरप / जाति देवीसहाय पुत्र गौरीलाल
करने का काम करे।

प्रार्थी देवीसहाय

नाम देवीसहाय
पुत्र श्री गौरीलाल
जाति बालहि ग्राम बाडीपुरा

रिपोर्ट पटवारी हस्त उपखण्डपुरा

प्रार्थी देवीसहाय पुत्र गौरीलाल के प्रार्थना पत्र पर
अज्ञात रूप में जानकारी ली गई, जिसके अनुसार प्रार्थी को देवीसहाय पुत्र गौरीलाल
नाम / जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम / जाति देवाराज पुत्र गोरप के स्थान पर देवीसहाय पुत्र गौरीलाल
करने का किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम / जाति देवाराज पुत्र गोरप
के स्थान पर उसका नाम / जाति देवीसहाय पुत्र गौरीलाल करना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक दत्त

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख)

परिवारी हस्ताक्षर
Amr Kumar
पटवारी
126 गौरीलाल
28/01/18

कमांक भू.अ. केम्प/18/31

दिनांक 28-01-18

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार प्रार्थी देवाराज
आत्मिका गोरप जाति बालहि निवासी बाडीपुरा के खाते
ग्राम बाडीपुरा के नाम दर्ज नाम / जाति देवाराज पुत्र गोरप के स्थान पर देवीसहाय पुत्र गौरीलाल
शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.)
उपखण्डपुरा

मुप.नं. 39/2018
देवीसहाय जय सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 28/01/18

कमांक :

स्वीकृति आवेद

तहसीलदार उपखण्डपुरा की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री देवाराज पुत्र श्री
गोरप जाति बालहि निवासी बाडीपुरा का नाम / जाति
राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अन्तर्गत देवाराज पुत्र गोरप
के स्थान पर देवीसहाय पुत्र गौरीलाल शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डपुरा